

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व
एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :—

क्र. / 100/2 / भूअर्जन/अ-82/2022,

कोरबा, दिनांक 26/09/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - कोरबा
(ख) ग्राम - तेलसरा
(ग) तहसील - कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल - 1.801 हे.


स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	20/2	0.008	15	210/1	0.032	29	399, 400/2	0.049
2	21/1	0.057	16	210/2	0.045	30	242/2	0.012
3	20/3	0.024	17	220/1	0.065	31	242/1	0.073
4	21/3क	0.045	18	234/1	0.065	32	403	0.024
5	21/4	0.041	19	220/2	0.081	33	401/3	0.121
6	164/4	0.101	20	223/1	0.049	34	212/1	0.049
7	205/2	0.016	21	223/2	0.024	35	212/2	0.032
8	207/1	0.012	22	233	0.024	36	401/2	0.016
9	244/1	0.020	23	223/3	0.069	37	163/2, 164/3/क/2	0.040
10	202/2	0.121	24	246	0.045	38	163/3, 164/3/क/3	0.040
11	207/2	0.061	25	240/3	0.016	39	163/4, 164/3/क/4	0.040
12	206/1	0.061	26	240/5	0.065	योग		1.801
13	202/1	0.024	27	241/2	0.012			
14	202/3	0.053	28	241/1	0.069			


2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा